ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-4* Issue-2* May- 2019
Anthology : The Research

आधुनिक युग में उपेक्षित है बुजुर्ग कारण एवं निदान

नागरत्ना गनवीर
सहायक प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान विभाग,
शास. शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय,
राजनांदगांव (छ.ग.)

रूपाली सक्सेना
सहायक प्राध्यापक,
हिन्दी विभाग,
शास. दिग्विजय महाविद्यालय,
राजनांदगांव (छ.ग.)

सारांश

मानव जीवन विभिन्न पड़ावों को पार करता है जिनमें बाल्यावस्था , युवावस्था एवं वृद्वावस्था है। बाल्यावस्था एवं युवावस्था तो तक शरीर के अंग अच्छी तरह साथ देते है, परन्तु वृद्वावस्था में वह स्थिति नही रह जाती। इंद्रियाँ कमजोर हो जाती हैं शरीर शिथिल होने लगता है। योगी शंकराचार्य ने वृद्वों के मन की दशा का वर्णन करते हुए लिखा है कि –

अंगम् गलितम् पलितम् मुण्डं
दशन विद्वानम् जातं तुण्डं।
वृद्वों यानि ग्रहीत्वा दण्डं
तदपि न मुच्चति आशा पिण्डं।

वृद्वावस्था मानव जीवन का अंतिम पड़ाव होता है। भारतीय आश्रम व्यवस्था के अनुसार मानव की आयु 100 वर्ष मानी गई है। जिसे चार आश्रमों में विभाजित किया गया है। ब्रह्मचर्य, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। प्रत्येक आश्रम को 25 वर्ष का माना गया है। लोगो में यह कहावत प्रचलित है कि ''सब फलों में पका हुआ फल मीठा होता ह परन्तु मनुष्य का पकना (वृद्वावस्था) अत्यंत कडुवा होता है।'' ऋषि, मुनि एवं ज्ञानीजन कहते हैं कि वृद्वावस्था में वृद्वों को अपना अधिकार स्वयं छोड़ देना चाहिए तथा अगली पीढ़ी को अधिकारों का हस्तांतरण कर देना चाहिए। परन्तु यह स्थिति तब अधिक उपयोगी थी जब सयुंक्त परिवार हुआ करते थें। परन्तु जैसे–जैसे विकास की गति बढ़ती जा रही है वैसे–वैसे विभिन्न कारणों से संयुक्त परिवारों का विघटन होता जा रहा है एवं एकल परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही हैं।

मुख्य शब्द : बाल्यावस्था , युवावस्था एवं वृद्वावस्था ।

प्रस्तावना

मानव अपनी उत्पत्ति से लेकर विकास तक विभिन्न समस्याओं को साथ लेकर चलता है। इतिहासकार मानते हैं कि ''प्रारंभिक समाजों में व्यक्ति 40 की उम्र पार नही कर पाता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। इतिहासकारों ने अपनी खोजों के आधारों पर इन तथ्यों का संकलन किया था यह खोज मानव कंकालों पर आधारित थी।'' समान्यतः 60 वर्ष की आयु को वृद्वावस्था माना गया है। कुछ विद्वानों ने वृद्वों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है – युवा वृद्वा (60 से 75 के मध्य) तथा वृद्वा (75 वर्ष से अधिक)''। वर्तमान सामाजिक स्थिति के अनुसार वृद्वों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। (1) वे जो सरकार, सार्वजनिक उपक्रम से सेवानिवृत हुए है एवं पेंशन लाभ प्राप्त करते है। (2) वे जों 60 वर्ष की आयु मे पहुंच कर सार्वजनिक सहायता, अपने को जीवित रखने के लिए ले रहे हैं।

वृद्वों की स्थिति

भारतीय संस्कृति में वृद्वों का सम्मानजनक स्थान रहा है। भारतीय समाज की परम्पराओं एवं इसके समाजिक मूल्यों के कारण बुजुर्ग आदरणीय थे। वे परिवार के मुखिया थे। परिवारिक कार्यो में उनका निर्णय महवपूर्ण माना जाता था। न केवल पारिवारिक अपितु समाज के मामलों में भी उनका परामर्श लिया जाता था। उनको ज्ञान एवं अनुभवी तथा दूरदर्शी समझा जाता था। परन्तु अब स्थितियां बदल गई हैं। औद्योगिकीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकता एवं सामाजिक गतिशीलता के कारण, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संरचना के साथ ही आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन के कारण संयुक्त परिवार प्रणाली विघटित हो गयी है। बेरोजगारी, गरीबी एवं मूल्यवृद्वि आदि के कारण परिवारों मे वृद्वों की स्थिति पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ा है। उनके पथ प्रदर्शक एवं मुखिया की भूमिका बदल गयी है। वृद्वों को अपने ही बच्चों के साथ सामंजस्य बिठाना कठिन लग रहा है। स्थिति यह है कि पारिवारिक शांति बनाये रखने के लिये उनको घुटने टेकने पड़ते हैं। परिवार बुजुर्गो को अनावश्यक समझने लगे हैं। समाज में वृद्वों की संख्या पर गौर करे तो ''1950 में 60 वर्ष या इससें अधिक आयु के वृद्वों की संख्या 205 करोड़ थी। उस समय दुनियां मे कुल तीन देश थे, जहां वूद्वों की जनसंख्या 10 करोड़ या इससे अधिक थी। चीन मे 42 करोड़, भारत मे 20 करोड़, अमेरिका मे 20 करोड़। 50 वर्षो बाद अर्थात सन् 2000 मे 60 वर्ष की आयु या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों की जनसंख्या में तीन गुना की वृद्वि हुई है जो 606 करोड़ हो गई है। 2002 मे उन देशों की संख्या जिनमे 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के व्यक्ति निवास करते है, 03 सें बढ़ कर 12 हो गई है।''

कालांतर मे विभिन्न सुविधाएं जैसे खानपान, स्वास्थ्य सुविधाओं के चलते वृद्वों की संख्या मे वृद्वि होती जा रही है। '' यह चौकाने वाला तथ्य है कि विश्व की कुल जनसंख्या 1.2: की दर से बढ़ रही है जबकी वृद्वों की जनसंख्याा मे वृद्वि की यह दर 1.9: है। ऐसी आशा की जाती है कि निकट भविष्य मे वृद्वों की जनसंख्या में पहले की तुलना में वृद्वि प्रतिशत अधिक होगी। चूंकि वृद्व जनसंख्या सामान्य जनसंख्या की तुलना मे अधिक दर से बढ़ रही है इसलिए आगे आने वाले वर्षो में वृद्धों की जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि होगी। 1950 में प्रति 12 व्यक्तियों में एक 60 वर्ष या अधिक की उम्र का था। इसी प्रकार 20 व्यक्तियों में 1 व्यक्ति 65 वर्ष या इससे अधिक उम्र का था यह संख्या 2000 में बढ़ कर क्रमशः 10 में 01 तथा 14 में 01 हो गई। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2050 मे यह 05 में 01 तथा 06 मे 10 हो जायेगी।''

एक अन्य अध्ययन के अनुसार '' इस समय वृद्ध लोगों की आबादी 7.6 करोड़ होने का अनुमान है। ऐसा अनुमान लागाया जा रहा है कि 2030 ई. में इनकी जनसंख्या 19.8 करोड़ हो जायेगी।'' सं.रा.सं. के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2025 में मध्य विकासशील एवं विकसित देशों में 80 वर्ष के ऊपर के वृद्धों की संख्या 60 वर्ष से ऊपर वाले वृद्धों की संख्या से दोगुनी हो जायेगी। क्योकि महिलाओं की आयु पुरुषों से अधिक होती है अतः वृद्धों में महिलाओं का बाहुल्य होगा।

वृद्धों की जनसंख्या मे वृद्धि को देखते हुए तथा युवाओं की संख्या में होती कमी के कारण चीन की सरकार ने अपने एक दंपत्ति एक संतान कानून में ढ़ील देते हुए एक दंपत्ति दो संतान का कानून लागू कर दिया है। ताकि युवाओं की जनसंख्या तथा वृद्धों की जनसंख्या मे वृद्धि अनुपात में सामंजस्य हो सके। किसी भी देश में जनसंख्या में वृद्धि का अनुपात उसके विकास को काफी हद तक प्रभावित करता है। परन्तु समाज में परिवर्तन के साथ बुजुर्गो को अनेक पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

वृद्धों की समस्याएँ

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में बुजुर्गो का सम्मानित स्थान रहा है। बुजुर्ग परिवार का मुखिया होता है। हमारे समाज मे बहुत से ऐसे परिवार है इनमें विशेष रुप से ग्रामीण परिवारों मे ऐसे परिवार है जिनमें घर के सदस्यों के लिए कार्य विभाजन का अधिकार बुजुर्गो के पास होता है। छत्तीसगढ़ मे भी ऐसे परिवार है इन परिवार मे इन बुजुर्गो को 'सियान' कहा जाता है। सियान के दिशा निर्देश से घर की व्यवस्था चलती है। परन्तु संयुक्त पारिवारिक प्रणाली के विखंडन के साथ ही यह परंपरा भी विखंडित हो गयी।

भारत में वृद्धों को वरिष्ठ नागरिक अथवा सीनियर सिटिजन कहा जाता है। एक ओर

आधुनिकीकरण, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण से देश मे विकाश की गति बढ़ी है परन्तु सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों में गिरावट आयी है। यही कारण है कि हमें बिजनौर जैसी घटनायें देखनें को मिल रही है। बिजनौर में एक महिला ने अपने सत्तर वर्षीय वृद्धा सास की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस तरह के घरेलू हिंसा के साथ ही बुजुर्गो की विभिन्न समस्यायें है जिन्हे निम्नलिखित बिंदुओं में विभाजित किया जा सकता है।

पारिवारिक समस्यायें

जिस परिवार को बुजुर्ग अपने खून–पसीने से सींचकर पाल–पोसकर खड़ा करता है वही परिवार बुजुर्गो को उपेक्षित कर देता है। यह अत्यंत पीड़ादायक स्थिति होती है। प्रायः यह देखा जाता है कि परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की स्थिति अच्छी होती है। बुजुर्ग जब तक काम करतें है तब तक तो ठीक है लेकिन जब वे आर्थिक योगदान करने में अक्षम हो जाते हैं तो परिवार में लोग उनको भार समझने लगते है। परिवार के सदस्यों की यह उपेक्षा वृद्धों की समस्याओं को बढ़ा देती है। वे मानसिक रुप से असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। देखा जाता है कि घर में सभी सदस्यों के होते हुए भी वे अपने परिवार से कटा हुआ, अलग पाते हैं।

संयुक्त परिवारों का विघटन, वृद्धों की समस्याओं में वृद्धि करता जा रहा है। वृद्धों की पारिवारिक समस्यायें बढ़ती जा रही है। धर्मवीर जी मानते हैं कि आज अनेक वृद्ध हैं जो अनाथ आश्रमों जैसी वृद्ध संस्थाओं मे रह रहें तथा संतान के होते हुए भी अपने आपको बिना संतान कहने हेतु विवश होते जा रहे हैं। उनके अपने बच्चें उसी शहर मे होते हुए भी न तो उनको मिलने आते हैं न हि उनके बारें में किसी प्रकार की चिंता करते है। ऐसे वृद्धजन वृद्ध संस्थाओं में जो खाने को मिल जाता है उसी मे अपनी संतुष्टि कर लेते हैं। ऐसे अनेक वृद्धों में इस प्रकार की भावना विकसित होने लगती है कि संतान का होना न होना उसके लिए बराबर हैं।

स्वास्थ्य संबंधी समस्या

वृद्धावस्था में इंद्रियां (हड्डियाँ, आखें, पाचन तंत्र) कमजोर हो जाती हैं साथ ही अन्य शारीरिक समस्यायें प्रारंभ हो जाती हैं। स्मरण शक्ति घट जाने के कारण कई महत्वपूर्ण चीजें भी याद नहीं रह पाती हैं। जोड़ों का दर्द या कोई गंभीर बीमारी की अवस्था में परिजन उनकी सही देखभाल नही करते हैं। चिकित्सकीय सुविधा की व्यवस्था नहीं करते। वृद्धों की चिकित्सा के लिये खर्च करना अतिरिक्त भार समझते हैं। ऐसी स्थिति में वृद्धों का स्वास्थ्य और अधिक कमजोर हो जाता है। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि वे मल–मूत्र तथा गंदगी में पड़े रहते हैं। उठने–बैठने, चलने–फिरने मे लाचार, ऐसी बीमारी से इतने ऊब जाते हैं कि वे जीवित रहना नही चाहते।

जिनका स्वास्थ्य अच्छा है वे सौभाग्यशाली है। परंतु अधिकांश बुजुर्ग बढ़ती हुई आयु के साथ–साथ किसी न किसी रोग से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वे बिस्तर तक सिमट जाते हैं। अपने ईलाज एवं गतिशीलता के लिए वे दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं।

आर्थिक समस्या

अधिकांश वृद्धों की प्रमुख समस्या आर्थिक समस्या है। वे स्वयं अर्थोपार्जन नहीं कर सकते। आर्थित रुप से निर्भरता के कारण अपनी छोटी से छोटी समस्या के लिए भी परिवार वालों का मुंह ताकना वृद्धजनों की नियति होती है। धर्मवीर जी का मानना है कि भारत में 40ः से अधिक वृद्ध गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते हैं। जिनमें वृद्ध विधवाओं की संख्या 55ः हैं। संतान को बुढ़ापे का सहारा समझा जाता है परन्तु पि”चमिकरण तथा आधुनिकीकरण की दौर में बुढ़ापें का यह सहारा छीन गया है। माता–पिता बच्चों की ि”ाक्षा–दिक्षा की व्यवस्था कर उनको योग्य बनाते है परन्तु आगे चलकर बच्चों के पास अपने माता–पिता के लिए न धन होता है, न समय।

कुछ वृद्ध पेंशन पाने वाले होते है पर उनकी स्थिति भी संतोषजनक नही होती क्योकि महंगाई के कारण उनकी वास्तविक आय कम हो जाती है एवं वे उन पैसों से अपना आर्थिक निर्वाह करने मे असमर्थ हो जाते है। यदि वृद्धावस्था में ही कन्या विवाह जैसा सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा करना हो तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। इसके साथ ही जो दूसरे वृद्ध जिनकों पेंशन आदि नही मिलती है इनकी स्थिति तो और भी सोचनीय होती है। बेकारी तथा बेरोजगारी के कारण आमदनी कम होने के कारण बच्चे भी उनकी देखभाल करने में असमर्थ होते हैं। देश में व्याप्त बेरोजगारी उनको रोजगार नही दे सकता। इधर कुछ

सरकारें युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से सेवानिवृत्ति की आयु कम करना चाहती है और कुछ सरकारों ने कम कर दिया है। इससे सेवारत् बुजुर्गो में मानसिक तनाव बढ़ जाता है। शासकीय वृद्धावस्था पेंशन एवं निराश्रित पेंशन योजना के अंतर्गत जो राशि दी जाती है वो पर्याप्त नही होती है क्योकि वृद्धो को अपने खान–पान के साथ ही स्वास्थ्य पर भी खर्च करना पड़ता हैं। एक विडंबना यह भी है कि इन योजनाओं का लाभ उन्ही वृद्धों को मिलता है जो गरीबी रेखा के नीचे आते है तथा जो निराश्रित है, जबकि ऐसे भी वृद्धजन है जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है तथा वे निराश्रित की श्रेणी मे भी नही आते परन्तु परिवार के लोग न तो उनको पैसे देते हैं। और न ही उन पर खर्च करना चाहते हैं।

सामाजिक असुरक्षा की भावना

भारत में संयुक्त परिवार प्रभाव के कारण वृद्धजनों मे सामाजिक सुरक्षा की भावना रहती है। परिवार के साथ रहने मे वे सुरक्षित महसूस करते है किन्तु मानवीय मूल्यों में निरंतर पतन के कारण स्थितियां बदल गयी हैं। आज जहां संयुक्त परिवार है वहां भी बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है।

वर्तमान में बिजनौर की एक महिला ने अपनी सत्तर वर्षीय वृद्ध सास की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस घटना को प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम सें सारे देशवासियों ने देखा तथा पढ़ा। इस घटना से देश में बुजुर्गो की सुरक्षा के सख्त कानून बनाये जाने की मांग उठने लगी हैं। ऐसे मामले जिनमें बुजुर्ग घरेलू हिंसा के शिकार होते है, उन्हे लेकर कोई स्पष्ट और विशिष्ट कानून देश में नही हैं। घर की चारदीवारी के भीतर बुजुर्गो के प्रति होने वाले हिंसा के खिलाफ कोई रिपोर्ट नही हो पाती। बुजुर्गो की असहाय अवस्था उनके सुरक्षा के लिए बड़ा अवरोध बन जाता है।

बुजुर्गो के शोषण और उनके खिलाफ हिंसात्मक घटनायें अकेले भारत की समस्या नही है वरन दुनिया की ये एक गंभीर समस्या है इस लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस संबंध मे संज्ञान लेते हुए इससे संबंधित प्रस्ताव दिये हैं। ऐसी घटनायें हमारे सामाजिक मूल्यों मे गिरावट को दर्शाते है।

एकाकीपन की समस्या

एकल परिवार प्रथा ने बुजुर्गो के जीवन मे एकाकीपन भर दिया है। एकल परिवार मे वृद्धों के लिए स्थान नही होता। संतान अपने कार्य व्यापार में मशगूल रहता है। जब वृद्धों की अच्छी प्रकार देखभाल नही होती तो अनेक पारिवारिक एवं भावनात्मक समस्याएं उत्पन्न होती है। बुजुर्ग दंपत्ति मे से पति या पत्नि के निधन हो जाने से अकेलेपन का भाव उनके आत्मविश्वास मे कमी करता है। ऐसी स्थिति मे वे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। यह देखा गया है कि जिन परिवारों में बुजुर्ग को सम्मान एवं अधिकार प्राप्त होता है वे अन्य बुजुर्गो की अपेक्षा अधिक आत्मविश्वास से भरें रहते हैं तथा दीर्घायु होते हैं। जबकि एकाकी बुजुर्गो की स्थिति विशेष रुप से बीमारी के दौरान और भी अधिक गंभीर हो जाती है। अकेलापन वृद्धों के लिए भारयुक्त है। सुंयुक्त परिवार प्रथा में विघटन के कारण यह समस्या और भी विकट होती है। वृद्धों की मजबूरी है कि वे अपनी देखभाल खुद करते है।

आवासीय समस्या

देश में जनसंख्या वृद्वि के साथ साथ आवासीय समस्या गंभीर समस्या बनती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह उतनी गंभीर नही है जितनी शहरी क्षेत्रों के लिए । ग्रामों में वृद्ध अपनें बच्चों के साथ रहते हैं परन्तु शहरों में आवासीय सुविधा का अभाव रहता है। आवास छोटा रहने के कारण बुजुर्गो के जो विवाहित बच्चें होते है उन्हे अपने माता–पिता को अपने साथ रखना कठिन हो जाता है। साथ हि आधुनिक वातावरण से प्रभावित बच्चे अपने वृद्धों से अलग रहना चाहते है क्योकि उनको बुजुर्ग अपनी स्वतंत्रता में बाधा लगतें है। आधुनिक पीढी की यह सोच बुजुर्गो के लिए एक बड़ी समस्या है।

मनोवैज्ञानिक समस्या

बीमारी, अकेलापन, आर्थिक कमी आदि वृद्धों की मानसिक समस्या है। बीमारी अवस्था में उचित देखभाल न हो पाना, परिवार वालो का उपेक्षा भाव, मृत्यु का डर आदि मनोभाव वृद्धों के मन में डर पैदा करते हैं और वे अपने आपको असुरक्षित पाते है।

प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रो. अरुणा बूटा के अनूसार – ''दुर्भाग्यवश भारत में वृद्धजनों की समस्यायें सुलझाने के लिए शोध की दिशा में प्रयास

हाल ही में शुरु हुए हैं। वृद्धावस्था और वृद्धों के बारें में समाज में प्रचलित ज्यादातर जानकारी गलत धारणाओं, भ्रामक सोच, भेदभाव एवं अज्ञानता बूढ़े होने के व्यक्तिगत भय पर आधारित है। समाज के विभिन्न वर्गो में बड़े बूढो की स्थिति के बारें में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। '' इन्होने अकेलेपन और मौत के डर को वृद्धों की प्रमुख मनोवैज्ञानिक समस्याएं माना है। वृद्धों की इन समस्याओं को दूर करने के लिए शासकीय प्रयास किये गये हैं।

वृद्धजनों हेतु संचालित विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम

वृद्धों की स्थिति सरकारों के लिए भी चिंतन का विषय है। विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1948 ई. में वृद्ध आयु अधिकार पर एक घोषणा पत्र तैयार किया गया। जो 1969 ई. में आमसभा तथा 1972 ई. में संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक कौसिल में रखा गया तथा उस पर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श किया गया जिसमें दिए गए सुझाव अधोलिखित है –

1. स्वास्थ्य एवं पोषण – नियोग्यताओं और बीमारियों की रोकथाम पर बल दिया जाये।
2. आर्थिक सुरक्षा।
3. सामाजिक सहभागिता
4. आवास एवं पर्यावरण।
5. उपभोक्ता संरक्षण।
6. अनुसंधान एवं शिक्षा साथ ही 1991 ई. में वृद्ध लोगों हेतु नियमों में भोजन, पानी, आवास तथा वस्त्रों तक पहुंच, स्वास्थ्य रक्षा हेतु सामाजिक एवं कानूनी सेवाएं, पारिवारिक एवं सामुदायिक सहायता, कार्य करने हेतु अवसरों की उपलब्धता, सम्मान, सुरक्षा एवं बिना शोषण के जीने जैसे अधिकार पर बल दिया।

भारत में ''सर्वोच्च न्यायालय ने वृद्धों को समान्य रुप में राहत देने की आवश्यकता के संदर्भ में यह टिप्पणी दी कि वृद्धायु प्रत्येक के चाहे वह राजा हो अथवा महात्मा, क्षत्रिय हो अथवा निम्न जाति का, जीवन में आती है, समाजवाद का लक्ष्य उन व्यक्तियों जिन्होनें समाज को जो कुछ वह दे सकते थे जब वह शारीरिक एवं मानसिक रुप से स्वस्थ थे, दे दिया है, को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। जीवन के सांयकाल में राज्य के नागरिकों को जीवन का सुंदर स्तर, चिकित्सकीय सहायता, अभाव में स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता एवं आनंद योग्य विश्राम सुनिश्चित करना चाहिए।''

विकसित देशों में वृद्ध व्यक्तियों के लिए जो योजनाएं संचालित है उनसे वहां के वृद्धजन सुव्यवस्थित जीवन के प्रति आश्वस्त रहते है। परंतु वित्तीय विवशताओ के कारण हमारे देश मे ऐसी स्थिति तो नही है। फिर भी वृद्धों के कल्याणार्थ कार्यक्रम एवं योजनांए संचालित है। कल्याण मंत्राालय वृद्धों के कल्याण की केन्द्रीय एजेंसी है जो स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता अनुदान देता है जो रोजगार उत्पादन, स्वास्थ्य देखभाल, मनोरंजन आदि के क्षेत्रों में वृद्धों को सेवा प्रदान करती है। यह वृद्धों से संबंधित समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण हेतु शोध अध्ययन भी करता है ताकि नीति निर्माण, नियोजन एवं प्रोग्रामों के लिए वास्तविक आंकड़े उपलब्ध हो सके।

वृद्धों को आयकर में छूट दी गई है। विभिन्न राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से वृद्धि पेंशन योजना, निराश्रित पेंशन योजनाएं संचालित है। गरीबी रेखा वाले परिवारों कों स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने हेतु स्मार्ट कार्ड योजना संचालित की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में इस योजना के अंतर्गत 35 हजार रूपये तक के इलाज का खर्च राज्य सरकार देती है। उसमें परिवार के बुजुर्ग भी सम्मिलित होते हैं। छत्तीसगढ़ में वृद्धों हेतु तीर्थयात्रा योजना भी संचालित है।

वृद्धों के लिए आवासीय योजना 'ओल्ड एज होम्स' तथा 'डे केयर सेंटर' की स्थापना की गई। हिमाचल प्रदेश में वृद्धों के लिए मंडलीय अस्पतालों में वृद्धायु क्लीनिक खोला गया है। जिला अस्पतालों में विशेष चिकित्सकीय देखभाल, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र, स्वसहायता हेतु प्रशिक्षण, वृद्ध क्लब तथा अस्पतालों तक जाने के लिए बसों में निःशुल्क यात्रा सम्मिलित है।

सेवानिवृत्त वृद्धजनों के लिए राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशों की अपनी–अपनी योजनाएं है। हमें लगता है कि पूरे देश मे वृद्धों के लिए एक समान कार्यक्रम हो। यदि किसी राज्य की आर्थिक विवशता है तो उसे केन्द्र की ओर से सहायता दी जानी चाहिए।

हेल्पेज इंडिया

वृद्धों के सेवार्थ कार्य करने वाली संस्थाओं में हेल्पेज इंडिया का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हेल्पेज इंडिया की स्थापना इंग्लैंड में हैल्प दी एजेंड सोसायटी के प्रतिरूप पर 1978 में हुई थी। यह वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल एवं उनके हितों के लिए निर्मित स्वयंसेवी संगठन है, जो देशभर में कार्य करता है इसका मुख्यालय दिल्ली है। इसकें प्रमुख 12 नगरों में केन्द्र है। युवा पीढ़ियों में वृद्धों की आवश्यकताओं के बारें में जागरूकता उत्पन्न करने के अतिरिक्त, यह अनेक प्रतियोगिताएं जैसे–चित्रकला, वाद विवाद, एवं हाहा समारोह आदि को संचालित करता है। अभी एन.एस.एस. स्वयंसेवी संस्थाओं का प्रयोग भी ऐसी गतिविधियों तथा वृद्धों के लिए घर, दिवस केन्द्र, वृद्ध केन्द्र, चलती फिरती मैडी केयर यूनिटे, नेत्रहीन वृद्धि, शारीरिक तौर पर बाधित एवं कुष्ठ रोगियों तथा मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा कराने वालो का पुनर्वास। अपने आरंभ से इस संस्था ने लगभग 10 करोड़ रूपये की लागत से 700 ऐसी परियोजनाओ को प्रायोजित किया है। हैल्पेज स्वयंसेवी परियोजनाओं को परिचालित नही करता, यह प्रादेशिक वृद्धायु स्वयंसेवी संगठनों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता द्धारा ऐसी परियोजनाओं एवं प्रोग्रामों के संचालन में सहायता करता है। इसकी मैडीकेयर यूनिट नई दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में 150 से 200 रोगियों को मैडीकेयर सुविधाएं प्रदान करती है।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वृद्धों के लिए एक पितामह को अंगीकृत करो (Adopt a Granny) स्कीम वृद्वो के पुनर्वास की व्यवस्था करने का कार्यक्रम है। यह स्कीम अन्तर्राष्ट्रीय हैल्पेज द्धारा प्रायोजित स्कीम है एवं इसके अधीन वृद्ध को 64 पौंड प्रत्येक वर्ष विदेशों में उनके प्रायोजको द्धारा उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दिये जाते है। 4 अक्टूबर 1990 को इस संस्था द्धारा एक प्रशिक्षण, अनुसंधान विकास केन्द्र की स्थापना की गई है। यह वृद्धों की देखभाल से संबंधित मामलों एवं समस्याओं का अध्ययन करता है।

भारत में वृद्ध व्यक्तियों के लिए सेवाकार्य का आरंभ सर्वप्रथम सन् 1840 में बैगलोर में फ्रैण्ड इन नीड सोसायटी की स्थापना की गयी। इसके बाद सन् 1865 में पूना में टेविड सेसंन एसाइलन की स्थापना हुई। इनके अतिरिक्त देश में अन्य समस्याएं भी वृद्धों की सेवा कार्य में अपना योगदान दे रहीं हैं।

बुजुर्गो की समस्याओं के समाधान के उपाय एवं सुझाव

वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए है, यात्रा, स्वास्थ्य, आवास आदि विभिन्न तरह की योजनाएं है, परन्तु देश मे बुजुर्गो की आबादी का एक बड़ा तबका इन सरकारी योजनाओं, कल्याण कार्यक्रमों सें वंचित है। मात्र कानून या कार्यक्रम बनाना पर्याप्त नही है। बल्कि उसका परिपालन आवश्यक है।

विश्व तथा भारतीय जनांकिकी अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि वृद्धों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है । साथ ही इसकी समस्याओं मे भी वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में उन्हे आवश्यक कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान कर उनकी समस्याओं को समाप्त नही तो कम अवश्य किया जा सकता है। कुछ सुझाव निम्नलिखित है –

1. सर्वप्रथम बात संस्कारों की है, परिवार के बड़े लोग (माता–पिता) अपने बच्चों में वृद्धजनों की सेवा का संस्कार डाले। घर में वृद्धों की सेवा सुश्रुषा कर अपने बच्चों को राह दिखा सकते है। बचपन के संस्कार मनुष्य के जीवन में बड़ें प्रभावी होते हैं।
2. भारत के संदर्भ में सामाजिक तौर पर होने वाले धार्मिक प्रवचन इत्यादि में जों धर्मगुरू उपदेशक होते हैं उनका समाज में विशेष प्रभाव होता है। ऐसे धर्मगुरू अपने उपदेशों में, प्रवचनों में यह अवश्य बताएं कि माता–पिता ही जीवित ईश्वर है, इनकी पूजा (सेवा) करने से ही जीवन सार्थक है। अपने बुजुर्गो को दुख देने से बड़ा कोई पाप नही है।
3. संयुक्त परिवार प्रणाली को बढावा दिया जाना चाहिए और आधुनिकता के अनुसार संयुक्त परिवार प्रणाली के लाभ के प्रसार के लिए विभिन्न कार्यशालायें, संगोष्ठियां एवं ग्राम सभा इत्यादि का आयोजन कर इस विषय पर विचार किया जाना चाहिए। जिससे अधिकांश लोग इसके प्रति जागरूक तथा प्रेरित हो सके।
4. वृद्धों के मनोरंजन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। यह व्यवस्था हर वर्ग के बुजुर्गो की आवश्यकतानुसार होनी चाहिए। बुजुर्गो का अपना

क्लब हो। जहां वे अपनी समस्याओं, अपनी भावनाओं को साझा कर सके।

5. वृद्धों के स्वास्थ्य की उचित देखभाल हेतु सरकारी व्यवस्था के साथ ही परिवार वाले अपना अहं उत्तरदायित्व समझे। शासकीय अस्पतालों में बुजुर्गो के लिए ऐसी व्यवस्था हो कि उन्हे लंबी लाईन मे खड़े होने कि आवश्यकता न पड़े। इस मामले में उनको प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। उनके लिए विशेष वार्डो एवं बिस्तरों की व्यवस्था होनी चाहिए।
6. वृद्धों के लिए रेल टिकट, बस टिकट प्राप्त करने के लिए, बिजली पानी के बिलो के भुगतान के लिए अलग काऊंटर संचालित किए जाने चाहिए।
7. सेवानिवृत्त एवं अन्य वृद्धों के अनुभवानुसार उनके लिए रोजगार परक कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। जिससे उनमें हीन भावना जागृत न होने पाये। हम देखते है कि आत्मनिर्भरता से अधिकार की भावना आती है और सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है।
8. परिवार में, समाज में वृद्धों का उचित सम्मान एवं उचित देखभाल की व्यवस्था हो । भारत में 1 अक्टूबर को वृद्ध दिवस मनाया जाता है। अलग–अलग देशों में भिन्न–भिन्न रूपों में वृद्धों के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। जापान मे 15 सितम्बर को दादा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पौत्र अपने दादाओं को पुष्पों के साथ प्रणाम करते है तथा उन्हे उपहार देते है। ताईवान ने वर्ष के नवें चंद्रमा मास के नवें दिन को राष्ट्र के लिए वृद्धजन संस्था के प्रति सम्मान प्रकट करने वाला दिवस घोषित किया है। अमेरिका मे मई का मास वृद्ध अमेरिकन मास घोषित किया गया है। कनाडा में जून मास वरिष्ठ नागरिक मास के रूप में मनाया जाता है।

मूल्यांकन

हेल्पेज इंडिया संस्था ने कुछ वर्ष पहले अपने एक अध्ययन में पाया कि भारत मे बुजुर्ग आबादी में 37ः लोगो को अपने परिवार की अवहेलना और अपमान झेलना पड़ता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश मे इस समय कुल आबादी का 8 से 9 फीसदी लोग बुजुर्ग है और उनमे से अधिकांश बुजुर्ग कष्टमय जीवन व्यतीत करते है। उनके पास मूलभूत सुविधाएं नही है। संयुक्त परिवार के विघटन, नगरीकरण, महंगाई, आधुनिकीकरण के कारण बढ़ता पीढिओं का अंतर, नैतिक मूल्यों का पतन आदि कारणों से वृद्धजनों का जीवन शोचनीय दशा में हैं।

वृद्धों के कल्याणार्थ शासकीय योजनाएं संचालित है परन्तु जिस रूप में बुजुर्गो को इसका लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। संविधान की धारा 41 के अधीन राज्य का मौलिक कर्तव्य है कि वह वृद्धों को सार्वजनिक सहायता एवं सेवानिवृत कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करें।

1990 का वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप मे मनाया गया। परन्तु वृद्धों के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य योजना नही बनाई गयी जिनसें उन्हे अतिआवश्यक सुविधा प्राप्त हो सके।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने वृद्धों के लिए विभिन्न अग्रताओं एवं संस्तुतिओ को प्रस्तावित किया है '' वृद्धों की विकासी या क्षमता एवं मानवी आवश्यकताओं के समुचित समाधान करने हेतु राष्ट्रीय संयंत्र को स्थपित अथवा सशक्त किया जाये, वृद्धों के आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, जनसांख्यिक एवं रोग संबंधी पक्षों पर अनुसंधान के क्षेत्र को व्यापक बनाया जाये, संस्थागत अथवा सामुदायिक देखभाल प्रणाली की स्थापना अथवा उसका विस्तार किया जाये ताकि वृद्ध व्यक्तियों को समुचित स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवाएं उपलब्ध हो सके, वृद्धों के संगठनों जो विकास कार्यक्रर्मो एवं नीति निर्माण में उनकी क्रियात्मक सहभागिता को सुनिश्चित करते है, को प्रोत्साहित एवं उन्नत किया जाये तथा नीति निर्माताओं, अन्वेषकों एवं कार्यकर्ताओं को वृद्ध विज्ञान में प्रशिक्षण दिया जाये ताकि उन्हे वृद्धता संबंधी मामलो का समुचित ज्ञान हो सके।''

उपरोक्त संस्तुतियो से यह स्पष्ट है कि सरकार एवं समाज को वृद्धों के प्रति अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वाह करना चाहिए जिससे वृद्धों का जीवन सुखमय हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *डॉ. डी. एस. बघेल – भारतीय समाज, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, 2007, पृ.640*
2. *डॉ. धर्मवीर महाजन, डॉ. कमलेश महाजन – भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्यायें, विवके प्रकाशन दिल्ली, 2012, पृ. 161*
3. *संगीता तेज, तेजस्कर पांडेय – समाज कार्य क्षेत्र, भारत प्रकाशन, लखनऊ, 2011, पृ.224*

4. डॉ. डी.एस.बघेल – भारतीय समाज, पृ. 639
5. डॉ. डी.एस.बघेल – भारतीय समाज, पृ. 640
6. डॉ. धर्मवीर महाजन, डॉ. कमलेश महाजन, पृ. 161
7. संगीता तेज, तेजस्कर पांडेय, पृ. 223–224
8. डॉ. धर्मवीर महाजन, डॉ. कमलेश महाजन – भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्यायें, पृ.164
9. डॉ. धर्मवीर महाजन, डॉ. कमलेश महाजन – भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्यायें, पृ.164
10. संगीता तेज, तेजस्कर पांडेय – समाज कार्य के क्षेत्र, पृ. 225
11. संगीता तेज, तेजस्कर पांडेय – समाज कार्य के क्षेत्र, पृ. 227
12. संगीता तेज, तेजस्कर पांडेय – समाज कार्य के क्षेत्र, पृ. 223
13. दैनिक अखबार, छत्तीसगढ़, दिनांक 15.01.2016